FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर धोरीमन्ना–बाड़मेर

उनवानः नारायणराम बनाम आसुराम

प्रा0पत्रसं0 76/2025

GCMS 2025/136

किस्म मुकदमाः– राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
16.05.2025	प्रार्थी के वकील श्री गंगाराम विश्नोई ने यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज होकर दर्ज रजिस्टर हो। तहसील कार्यालय में तामिल कुनिदा का पद रिक्त होने से प्रार्थी वकील विप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एडी प्रस्तुत करें। पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 01.07.2025 को पेश हो। (भागीरथराम) सहायक कलक्टर धोरीमन्ना	
01.7.25	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी के वकील अनुपस्थित। आज न्यायालय समय में प्रार्थी मय वकील को रुक-रुक कर तीन बार आवाज दिलवाई जाने के बावजूद अनुपस्थित। चूंकी उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में मूल वाद खारिज हो चुका है जिससे उक्त आवेदन का अब कोई औचित्य व कार्यवाही होना शेष नहीं रहा है। अत: आवेदन [illegible] 9 नियम 2 [illegible] के तहत (अदमहाजरी) व अदम पैरवी में खारिज कर मूल वाद के साथ शामिल दफ्तर किया जाता है।	

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:44 IST
Reason: SelfAttested